

रायपुर, दिनांक 17 DEC 2025

प्रमाण-पत्रों का क्रम :-

1. दो पासपोर्ट साईज फोटो।
2. 10वीं की अंकसूची।
3. 12वीं की अंकसूची।
4. गैप सर्टिफिकेट (अंतराल अवधि)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये।) जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र के साथ जाति सत्यापन संलग्न किया है उन्हें भी काउंसिलिंग के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2024-25, 2023-24, 2022-23) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अभ्यर्थी के पिता का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल माता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता एवं पिता दोनों जीवित नहीं होने पर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. दिव्यांग संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय/जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
9. सेवारत होने की स्थिति में नियोजक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)।
10. यदि उपनाम परिवर्तित है तो उपनाम परिवर्तन सम्बन्धी शपथ पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की दो सेट की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ में मूल प्रमाण पत्रों/अंकसूचियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होने पर उस संस्था के प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा है तो उस संस्था के प्रमुख द्वारा तत्संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. अन्य कोई प्रमाण-पत्र जिसका उल्लेख आवेदन में किया गया है, तो प्रस्तुत करना होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

शुल्क :-

अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र), अनुसूचित जन जाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए रु. 6,000/- (छः हजार रुपये मात्र) काउंसिलिंग के समय नगद/ऑनलाईन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को पृथक से समय नहीं दिया जायेगा तथा उसका चयन निरस्त किया जायेगा।


प्राचार्य

श्री नारायण प्रसाद अवस्थी
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)